झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–325 / 2019

में आई0ए0 सं0 4456 / 2019

राज नंदन पांडेय ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. सचिव, कार्मिक और ए0आर0 विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
3. निदेशक, हथकरघा, रेशम और हस्तशिल्प निदेशालय, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची
4. सहायक निदेशक, (सेरीकल्चर), राँची और पलामू जोन ..... विपक्षीगण

कोरम: **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

याचिकाकर्ता के लिए : श्री ललित कु0 सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री मिथिलेश सिंह, जी0ए0–IV

03 / 04.09.2020

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना। उन्हें ऑडियो और वीडियो स्पष्टता और गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं है।

याचिकाकर्ता ने डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 932/2018 को पुनःस्थापन हेतु यह आवेदन दायर किया है जो 04.02.2019 के आदेश का पालन न करने के लिए 14.02.2019 को खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अनजाने में वह पूर्वोक्त आदेश का पालन कर सका। उन्होनें कहा कि जैसे हीं डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 932/2018 पुनःस्थापित किया जाएगा, वह इसका पालन करेंगे।

पूर्वोक्त सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, मैं इस एप्लिकेशन को अनुमति देने के लिए इच्छुक हूँ। तदनुसार इस तत्काल याचिका की अनुमति है।

तदनुसार डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 932/2018 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाता है। डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0 932/2018 में कार्यालय द्वारा बताए गए दोषों को चार सप्ताह के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।

आई0ए0 सं0 4456/2019

मुख्य आवेदन में पारित आदेश के मद्देनजर, इस वार्ताकार आवेदन की अनुमति है।

(आनंदा सेन, न्याया0)